कार्यालय प्रधानाचार्य, महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज झाँसी ।

पत्रांक   /प्रवेश/2019–20/एस०सी०–2   दिनांक 22-6-19

आवश्यक सूचना

नीट यू०जी०–2019 के माध्यम से इस कालेज के लिये चयनित समस्त छात्रों को सूचित किया जाता है कि वे इस चिकित्सा महाविद्यालय में एम०बी०बी०एस० के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु ऑडिटोरियम में 10:00 बजे रिपोर्ट करेंगे तथा इसी दिन शैक्षिक प्रमाण पत्रों, अन्य प्रपत्रों एवं फोटो आदि की जाँच एवं सत्यापन किया जायेगा। अभ्यर्थी जाँच समिति के समक्ष निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की **मूल प्रति एवं उसकी एक–एक स्वप्रमाणित छाया प्रति** प्रस्तुत करेंगे। जाँच समिति द्वारा सही पाये जाने पर अभ्यर्थी का स्वास्थ्य परीक्षण **अगले दिन प्रातः 10:00 बजे से किया जायेगा।**

क्रम संख्या	प्रमाण–पत्र
1–	हाई स्कूल अंक तालिका (10th Marksheet)
2–	हाई स्कूल प्रमाण पत्र (10th Certificate)
3–	इण्टर मीडिएट अंक तालिका (12th Marksheet)
4–	इन्टर मीडिएट प्रमाण पत्र (12th Certificate)
5–	बी०एस०सी० अंकतालिका (BS.C Marksheet) (यदि कोई हो)।
6–	स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (T.C)
7–	प्रव्रजन प्रमाण–पत्र (Migration)
8–	चरित्र प्रमाण पत्र (Character Certificate)
9–	पिछले विद्यालय का परिचय पत्र/अन्य परिचय पत्र (Idendity Card)
10–	जाति प्रमाण पत्र, (**अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर शासन के अद्यावधिक दिशा–निर्देशों के अनुरूप होना चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र दिनांक 01 अप्रैल, 2019 या उसके बाद का निर्गत होना चाहिए,** जिसमें क्रीमीलेयर में न होने का प्रमाण भी अंकित हो) (Caste Certificate)
11–	निवास प्रमाण पत्र (Domicile)
12–	पिता/संरक्षक का आय प्रमाण पत्र (Income Certificate)
13–	छात्र के नीट यू०जी०–2019 के प्रवेश पत्र पर लगे हुए 10 Photo
14–	नीट यू०जी०–2019 का प्रवेश पत्र (NEET Admit Card)
15–	नीट यू०जी०–2019 का आवंटन पत्र एवं रैंक लैटर (Allotment & Rank Letter)
16–	नीट यू०जी०–2019 की अंकतालिका (NEET Marksheet)
17–	इण्टरमीडिएट/बीएससी परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात यदि गैप हो तो किसी अन्य मेडिकल कालेज/संस्थान/विश्वविद्यालय में प्रवेशित न होने एवं गैप के सम्बन्ध में शपथ पत्र। (Annexure 09 पर)
18–	हेपेटाइटिस बी वैक्सीन लगवाने का प्रमाण पत्र । (Hepatitis B Vaccina)
19–	रैगिंग न करने सम्बन्धी छात्र एवं पिता का अलग–अलग 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा प्रदत्त शपथ पत्र। (Annexure 07 एवं 08 पर)
20–	पत्र व्यवहार का पता लिखा हुआ रु० 5/–के साधारण टिकट सहित 4 लिफाफे।
21–	माता, पिता/अभिभावक का छाया चित्र ।
22–	यू०पी०काउंसिलिंग की रजिस्ट्रेशन एवं वेरीफिकेशन स्लिप (यू०पी० के अभ्यर्थियों के लिए)।
23–	आधार कार्ड/पैन कार्ड (Aadhaar Card/PAN Card)

प्रधानाचार्य, म०ल०बा० मेडिकल कालेज, झाँसी द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा स्वस्थ्य घोषित किये जाने पर ही आपको प्रवेश दिया जायेगा। स्वास्थ्य परीक्षा मे सफल होने पर आपको उसी दिन निम्नलिखित शुल्क बैंक ड्राफ्ट जो **प्रधानाचार्य, महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज, झाँसी** के नाम से बना हो, कार्यालय में जमा करना होगा। नीट यू०जी०–2019 से **पुनरावंटन पर प्रवेश लेने** अथवा विद्यालय छोड़ने की दशा मे जमा किया गया शुल्क व अन्य शुल्क

महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा के पत्र संख्या एम0ई0–3/2016/459–61 दिनांक 17 फरवरी 2016 के अनुसार समायोजित/वापिस किया जायेगा। काशनमनी रु0 10,000/– चेक द्वारा वापस की जायेगी। नीट यू0जी0–2019 के ऑल इण्डिया के 15 प्रतिशत कोटे से पुनरावंटन पर प्रवेश लेने अथवा विद्यालय छोड़ने की दशा में जमा किया गया शुल्क व अन्य शुल्क वापसी सम्बन्धी कार्यवाही नोटीफिकेशन संख्या F.No. U-12021/29/2011-MEC dated 15th June 2012 के अनुसार की जायेगी। **छात्रों को छात्रावास में रहना अनिवार्य होगा।** अध्ययन हेतु कक्षायें 01 अगस्त 2019 से प्रारम्भ होंगी। अतः प्रवेश के पश्चात् छात्रों को कालेज कार्यालय से सम्पर्क बनाये रखना होगा।

(2)

शुल्क का विवरण

अभ्यर्थी	प्रवेश शुल्क	छात्रावास शुल्क	कुल धनराशि
सामान्य वर्ग	36000	6000	42000
आरक्षित वर्ग	27000	6000	33000

नोट 1– जो छात्र द्वितीय काउंसिलिंग में भाग लेना चाहते हो उन्हें छात्रावास शुल्क जमा करना स्वैच्छिक है।

नोट 2– हॉस्टल वैलफेयर के लिये रु0 **4000/–** छात्रों को प्रेसीडेन्ट, हॉस्टल वैलफेयर सोसायटी, सी0वी0 रमन हॉस्टल, खाता संख्या **10671331116 में तथा छात्राओं को** प्रेसीडेन्ट, हॉस्टल वैलफेयर सोसायटी, गर्ल्स हॉस्टल, खाता संख्या **10671331070** में जमा करने होगें।

इसके अतिरिक्त उ0प्र0 सरकार द्वारा संचालित दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना में आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रों को छूट प्रदान की जाती है। इसके लिए अर्ह छात्रों को वापस न की जाने वाली शुल्क की प्रतिपूर्ति समाज कल्याण विभाग उ0प्र0 द्वारा की जायेगी। अतः इन्हें छात्रावास एवं विद्युत शुल्क एवं कॉशनमनी (कुल रूपये 16000/–) जमा करनी होगी एवं उ0प्र0 सरकार द्वारा संचालित दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना में आवेदन करने के पश्चात शुल्क प्रतिपूर्ति होने के 10 दिन के भीतर शेष फीस जमा करनी होगी एवं उपरोक्त योजना की नियमावली के अनुसार अनुसूचित जाति एवं जनजाति के समस्त छात्रों को आवेदन करना होगा। आवेदन में किसी भी प्रकार की त्रुटि होने/निरस्त होने की दशा में छात्र को शेष फीस 10 दिन के भीतर जमा करनी होगी।

इसके लिए छात्र–छात्राओं को निर्धारित प्रारूप पर 10 रु0 के स्टाम्प पर शपथ पत्र प्रवेश लेते समय प्रस्तुत करना होगा एवं शिक्षण सत्र के अन्त तक फीस की प्रतिपूर्ति न होने की दशा में छात्र/छात्रा को शेष फीस स्वयं जमा करनी होगी।

(साधना कौशिक)
प्रधानाचार्य,
महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज,
झाँसी।

पत्रांक: 2337/प्रवेश/2019–20/एस0सी0–2 तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– सूचना पट कॉलेज।
2– केन्द्रिय भंडार डी0पी0एस0 टेक्नोलोजी को वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।

(साधना कौशिक)
प्रधानाचार्य,
महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज,
झाँसी।